राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4047/2025

श्रीमति यति शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.03.2007 में छात्रावास अधीक्षक के पद पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2025 को एक आलोच्य आदेश जारी किया गया, जिसमे विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन याचिका डी.बी. हैवियर्स कॉर्पस पिटीशन संख्या 39/2019 में दिनांक 19.05.2025 (अनुलग्नक–2) को दिये गये निर्देशो के क्रम में विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन में स्वीकृत पदो के विरूद्ध रिक्त पदो के भरने के सम्बंध में माननीय मुख्य मंत्री से शिथिलन/अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित कार्मिक का तुरन्त प्रभाव से स्थानांतरण/पदस्थापन किया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, लवाण दौसा से अधिक्षक नारी निकेतन, भरतपुर में किया गया हैं। उक्त आदेश विभाग द्वारा केवल अपीलार्थी के सन्दर्भ में जारी किया गया है अपीलार्थी के अलावा अन्य किसी भी कार्मिका स्थानांतरण/पदस्थापन नही किया गया है। (अनुलग्नक–1) विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण/पदस्थापन नही किया गया है। वर्तमान में पद रिक्त है। अतिरिक्त निदेशक समाजिक न्याया एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिनांक 03.09.2024 को एक पदोन्नती आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को परिवक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (पे लेवल–11) के पद पर पदोन्नती की गई। पदौन्नती उपरांत अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवा लिया गया। (अनुलग्नक–3) आदेश दिनांक 10.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदौन्नती उपरांत पदस्थापन कार्यालय अधिक्षक राजकिय नारी निकेतन,

भरतपुर में किया गया। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 05.12.2024 को एक स्थानांतरण आदेश जारी किया गया जिसमें भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधिन याचिका डी. बी. हैवियर्स पिटीशन संख्या 39/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2024 के निर्देश में जारी किया गया था जिसमे अपीलार्थी का स्थानातरण राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या अनुसूचित जनजाति छात्रावास, दौसा स्थानांतरणधीन परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी कार्यालय अधीक्षक, राजकीय नारी निकेतन, भरतपुर से ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पंचायत सीमित लवाण दौसा में रिक्त पद पर पदौन्नती उपरांत किया गया। स्थानातरण आदेश में अपीलार्थी का नाम कम संख्या 02 पर अंकित है। (अनुलग्नक–5) आदेश दिनांक 05.12.2024 के अनुशरण में अपीलार्थी ने दिनांक 06.12.2024 को कार्याग्रहण कर लिया गया। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 11.01.2025 को एक अन्य स्थानांतरण आदेश जारी किया गया। जिसमे विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण ब्लॉक समाजिक सुरक्षा अधिकारी पंचायत सीमिती लवाण, दौसा से ब्लॉक समाजिक सुरक्षा अधिकारी, बसवा, दौसा में किया गया। उक्त आदेश विभाग द्वारा 34 दिन के अन्तराल में जारी किया गया था। आदेश दिनांक 11.01.2025 में अपीलार्थी का नाम कम संख्यसा 36 पर अंकित है। (अनुलग्नक–7) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 4 दिन के उपरांत एक अन्य स्थानांतरण आदेश जारी किया गया, जिसमे विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया। (अनुलग्नक–8) माननीय उच्च न्यायाल जोधपुर में विचाराधिन याचिका डी.बी.हैवियर्स पिटीशन संख्या 39/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2025 के बावजूद भी विभाग द्वारा दिनांक 04.06.2025 को एक पदौन्नती आदेश जारी किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा 21 कार्मिको को पदौन्नत किया गया। लेकिन रिक्त पदो को अनदेखा करते हुए पदौन्नती आदेश जारी किया गया। (अनुलग्नक–9) अपीलार्थी के पति भी राजकिय सेवा में टेकनिशियन के पद पर पदस्थापित है पति पत्नि के गृह जिले को अनदेखा करते हुए आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी की 17 वर्ष की बच्ची दौसा में अध्ययनरत है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर निर्भर करती है। उसके बावजूद भी विभाग द्वारा अपीलर्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 150 कि.मी दूर पदस्थापन किया गया है, जबकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नही किया गया है। विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है एवं अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नही किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 21.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं इस आदेश की पालना में अपीलार्थी को ब्लॉक समाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय, लवाण, जिला

दौसा में कार्यरत रखते हुए कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण वितरण का कार्य करने दिया जावे एवं वेतन का भुगतान भी वर्तमान पदस्थापन से करवाया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से शिथिलन/अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात जारी किया गया है। साथ ही आलौच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने विचाराधीन याचिका डी.बी.हैबियर्स कॉपर्स पिआीशन संख्या 39/2019 में दिनांक 19.05.2025 को दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किया गाय है, जिससे स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम जारी किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 06.12.2024 से कार्यरत है। आलौच्य आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना या नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है और आलौच्य आदेश प्रशासनिक जरूरतों के दृष्टिगत जारी किया गया है। अतः आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी मय स्थग्न प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष